FORM No. 123
(Order 24 Rule 07/ Order 32 Rule 03)

न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।

Date	Orders with initials of P.O. **धर्मेन्द्र साहू बनाम हरदेवनाथ वगैरह** **प्रार्थना पत्र संख्या – 104/2021(09/2017)** **सीआईएस संख्या – 09/2017**	Brief note of Compliance of Order
28.02.2025	वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम दिनांकित 20.01.2025 का निस्तारण किया जा रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र बाबत उभय पक्षकारान की मजीद बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किए कि इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 की प्रमाणित प्रति को न्यायालय के आदेशानुसार उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर मुद्रांक वृत्त अजमेर के द्वारा पूर्ण मुद्रांकित कर भिजवाया जा चुका है जो दिनांक 04.01.2025 को न्यायालय में प्राप्त हो गया है। वादीगण द्वारा न्यायालय में इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 की विनिर्दिष्ट अनुपालना एवं विक्रय पत्र को निरस्त घोषित किए जाने का वाद प्रस्तुत किया गया है। वादीगण के द्वारा असल इकरारनामा पेश किया गया था जो न्यायालय के द्वारा पत्र क्रमांक 10 दिनांक 23.05.2023 के द्वारा उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर मुद्रांक वृत्त अजमेर को रजिस्टर्ड डाक से पूर्ण मुद्रांकित किये जाने हेतु भेजा गया। दिनांक 04.07.02023 तक असल इकरारनामा पूर्ण मुद्रांकित कर पेश नहीं किए जाने पर स्मरण पत्र दिनांक 07.08.2023 को लिखा गया तथा निर्देशित किया गया। तत्पश्चात पुनः स्मरण पत्र जारी किए गए। तब उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर मुद्रांक वृत्त अजमेर द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.09.2023 के द्वारा न्यायायल को अवगत करवाया गया कि न्यायालय का पत्र क्रमांक 10 दिनांक 23.05.2023 इस कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया। इस पर न्यायालय के द्वारा पोस्ट मास्टर प्रबन्धक पोस्ट ऑफिस शाखा किशनगढ़ को पत्र दिनांक 22.09.2023 जारी किया गया व ट्रेक रिपोर्ट चाही गई व प्रवर अधीक्षक डाक विभाग अजमेर से समूचित रिपोर्ट चाही गई। दिनांक 27.09.2010 को पत्र लिखकर बताया गया कि दिनांक 01.06.2023 को डाक उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर मुद्रांक वृत्त अजमेर को वितरित की जा चुकी है। इस पर न्यायालय के द्वारा उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर मुद्रांक वृत्त अजमेर को पुनः स्मरण पत्र लिखकर पोस्ट ऑफिस द्वारा दी गई जानकारी से अवगत करवाया गया तथा स्पष्टीकरण चाहा गया। जिस पर दिनांक 01.04.2024 को उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर मुद्रांक वृत्त अजमेर द्वारा न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए लिखने पर दिनांक 21.03.2016 को पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रति को पूर्ण मुद्रांकित किए जाने हेतु पुनः प्रेषित किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावे में इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 के निष्पादन को स्वीकृत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में चूंकि	

मूल दस्तावेज उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर मुद्रांक वृत्त अजमेर के यहां प्रस्तुत किया गया है परंतु मूल दस्तावे प्राप्त नहीं हुआ है, उसकी प्रमाणित प्रति को ही मुद्रांकित कर प्रेषित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 की प्रमाणित प्रति को द्वितीय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य कर उस पर प्रदर्श डालने की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया गया।

उक्त प्रार्थना पत्र का प्रतिवादी पक्ष की ओर से लिखित में जवाब प्रस्तुत किया गया। दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रारंभिक आपत्ति के रूप में दस्तावेज इकरारनामा की नकल उन्हें नहीं दिलाए जाने से प्रतियां उपलब्ध करवाए जाने पर जवाब प्रस्तुत करना जाहिर किया तथा यह कथन किया कि विक्रय इकरारनाम पूर्ण मुद्रांकित होने हेतु असल ही भेजा जाना चाहिये था। असल दस्तावेज ही प्रदर्शित किया जा सकता है। दस्तावेज नोटेरी पब्लिक द्वारा नोटेराईज्ड नही किया गया है। नोटेरी का हस्ताक्षर अटेस्टेड करने का अधिकार केवल शपथ पत्रों तक ही सीमित है। उक्त इकरारनामा नोटरी पब्लिक द्वारा तस्दीकशुदा होना लिखना गलत व विधि विरूद्ध है। असल इकरारनामा कब पत्रावली में पेश किया गया इसका अंकन आदेशिकाओं में नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रीमेच्योर होने के आधार पर खारिज किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली, संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी द्वारा जरिये प्रार्थना पत्र इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 की प्रमाणित प्रति जो पूर्ण मुद्रांकित कर उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलेक्टर मुद्रांक वृत्त अजमेर के द्वारा दिनांक 04.01.2025 को प्राप्त हुआ। असल दस्तावेज गुम हो जाने से उसे द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करवाने की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो वादी के द्वारा हस्तगत वादपत्र विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 की विनिर्दिष्ट अनुपालना एवं विक्रय पत्र दिनांक 04.08.2016 को निरस्त करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया गया है। वादी की ओर से इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 को पूर्ण मुद्रांकित होने हेतु मुद्रांक कलेक्टर को भेजे जाने का निवेदन दिनांक 12.04.2013 को किया गया। जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अनापत्ति की गई। न्यायालय द्वारा वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 को कलेक्टर मुद्रांक को पूर्ण मुद्रांकित किए जाने हेतु प्रेषित किए जाने का आदेश दिया गया। दिनांक 16.05.2024 को इकरारनामा की प्रमाणित प्रति पेश होने पर मूल दस्तावेज को कलेक्टर स्टांप को जरिये रजिस्टर्ड डाक पत्र क्रमांक 10 दिनांक 23.05.2023 के द्वारा प्रेषित किया गया। तत्पश्चात उक्त दस्तावेज प्राप्त नहीं होने पर कलेक्टर मुद्रांक से स्पष्टीकरण तलब किया गया। दिनांक 30.04.2024 को प्राप्त मुद्रांक कलेक्टर के पत्र से मूल इकरारनामा तत्समय पदस्थापित कार्मिक के द्वारा सहवन से वह डाक अन्य पत्रावली में रख दिए जाने के कारण डाक का इंद्राज पत्र प्राप्ति रजिस्टर में नहीं किया जा सका। जिस कारण प्रश्नगत पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। प्रश्नगत पत्रावली को इस कार्यालय में ढूंढ़वाने के लिए

	सर्च नोट भी जारी किया गया। तत्समय आवक शाखा में पदस्थापित कार्मिक से डाक के गुम हो जाने के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही भी संबंधित कार्मिक के विरूद्ध प्रारंभ किए जाने का उल्लेख करते हुए मूल इकरारनामा की सत्यप्रति को उपलब्ध करवाने का निवेदन किया गया। जिस पर न्यायालय के द्वारा मूल इकरारनामा की प्रमाणित प्रति को न्यायालय के अंदर वादी द्वारा प्रस्तुत करने तथा प्रमाणित प्रति न्यायालय से प्राप्त कर राशि जमा कराने हेतु मुद्रांक कलेक्टर के यहाँ जमा करवाकर रसीद प्राप्त करने हेतु वादी को आदेश किया गया तथा राशि जमा करने पर प्रमाणित प्रति न्यायालय में वापस लौटाने का भी आदेश दिया गया। दिनांक 21.05.2024 को वादी के द्वारा उक्त इकरारनामा की प्रमाणित प्रति को जमा करवाकर रसीद न्यायालय में पेश की गई। तत्पश्चात उक्त इकरारनामा की प्रमाणित प्रति पूर्ण मुद्रांकित होने के पश्चात दिनांक 04.01.2025 को न्यायालय में प्राप्त हुई। इस प्रकार न्यायालय की आदेशिकाओ के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि वादी की ओर से जो असल इकरारनामा पेश किया गया है वह इकरारनामा कलेक्टर मुद्रांक को पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु न्यायालय द्वारा प्रेषित किया गया परंतु कलेक्टर मुद्रांक कार्यालय में उक्त दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात कार्मिक के द्वारा उक्त डाक को अन्य पत्रावली में रखने के कारण उक्त मूल दस्तावेज गुम हो जाने से उसकी प्रमाणित प्रति को पूर्ण मुद्रांकित करने हेतु न्यायालय को पत्र प्रेषित करने पर न्यायालय के द्वारा दस्तावेज की प्रमाणित प्रति को जरिये वादी प्रेषित किया गया। अतः ऐसी स्थिति में उक्त पत्रों एवं आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि मूल दस्तावेज कलेक्टर मुद्रांक कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त दस्तावेज असल कलेक्टर मुद्रांक कार्यालय में मिल गया हो इस संबंध में कलेक्टर मुद्रांक के पत्र क्रमांक 120 दिनांक 02.01.2025 में अंकन नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज विक्रय इकरारनामा की प्रमाणित प्रति जो पूर्ण मुद्रांकित किए जाने के पश्चात न्यायालय को प्रेषित की गई उसे वादी साक्ष्य में द्वितीय साक्ष्य के रूप में ग्राह्य कर उस पर प्रदर्श अंकित करवाने की अनुमति दिया जाना न्यायालय को न्यायोचित प्रतीत होता है। जहाँ तक प्रतिवादीगण की यह आपत्ति है कि उक्त दस्तावेज की प्रति उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई गई तो इस संबंध में न्यायालय की आदेशिकाओं से यह प्रकट होता है कि जब असल दस्तावेज कलेक्टर मुद्रांक को प्रेषित करने बाबत वादी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तब प्रतिवादी की ओर से अनापत्ति की गई। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुति से पूर्व प्रतिवादी की ओर से उक्त दस्तावेज की प्रति प्राप्त नहीं होने बाबत कोई निवेदन किया गया हो, पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट नहीं होता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को उक्त दस्तावेज की प्रति प्राप्त नहीं हुई हो यह तथ्य माने जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त जहाँ तक उक्त दस्तावेज का नोटेराईज्ड नहीं होने संबंधी आपत्ति है तो इस संबंध में गवाह से प्रतिपरीक्षा करने का पूर्ण अधिकार प्रतिवादी के पास सुरक्षित है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में उक्त दस्तावेज के निष्पादन से इंकार नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज फर्जी, कूटरचित हो यह तथ्य भी प्रथमदृष्टया वादपत्र एवं जवाब दावे के अवलोकन से प्रकट नहीं हुआ है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार	

	वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेज विक्रय इकरारनामा दिनांक 21.03.2016 की प्रमाणित प्रति को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने एवं उस पर प्रदर्शित करवाने की अनुमति दिए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 24.03.2025 को पेश हो। **(शालिनी शर्मा)** **अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश** **संख्या–02, किशनगढ़, जिला अजमेर।**	